

(To be published in the Part IV of the Delhi Gazette, Extraordinary)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE DEPARTMENT
(STATE RESOURCES DIVISION)
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002


No.F.10/21/2022-23/SRD/Fin/ 1920-1929

Dated: 01/08/2022

NOTIFICATION

No. F.10/21/2022-23/SRD/Fin/1920-1929: In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby rescinds, with effect from 01st September, 2022, the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi in the Finance (Expenditure-1) Department number F. 3(107)/Fin.(Exp.-I)/2021-22/DS-I/295 dated the 10th November, 2021 relating to amendments in Schedule IV to the Delhi Value Added Tax Act, 2004, published in Delhi Gazette, Part IV dated the 10th November, 2021.

By order and in the name of
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delhi,



(Niharika Rai)
Secretary (Finance)

No.F.10/21/2022-23/SRD/Fin/ 1920 -1929

Dated: 01/08/2022

Copy to :-

1. The Secretary to the Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Pr. Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Pr. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya I.P. Estate, New Delhi.
5. The Secretary to Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
6. The Commissioner of Excise, Entertainment & Luxury Tax, GNCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
7. Secretary to Hon'ble Dy. CM/ Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. Web site
10. Guard file.
11. The Commissioner, Trade & Taxes Department, GNCTD.


(Niharika Rai)
Secretary (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त विभाग

(राज्य संसाधन प्रभाग)

दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा0 सं010/21/2022-23/एसआरडी/वित्त/1920-1929

दिनांक : 01/08/2022

अधिसूचना

फा0 सं010/21/2022-23/एसआरडी/वित्त/1920-1929: दिल्ली मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिनांक 10 नवंबर 2021 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिल्ली मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2004 की अनुसूची IV में संशोधन से संबंधित वित्त विभाग (व्यय-1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की दिनांक 10 नवंबर 2021 की अधिसूचना फा0 सं0 3(107)/वित्त (व्यय- I)/2021-22/डीएस-1/295 को दिनांक 1 सितंबर, 2022 से निरस्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

निहारिका राय

(निहारिका राय)

सचिव (वित्त)

सं0फा0 10/21/2022-23/एसआरडी/वित्त/1920-1929

दिनांक: 01/08/2022

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :

1. सचिव माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
2. अपर मुख्य सचिव (सा0प्र0वि0) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग -4 (असाधारण) में आज की तारीख में प्रकाशन के अनुरोध सहित ।
3. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली
4. प्रधान सचिव (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली ।
5. सचिव माननीय मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. आयुक्त, आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एल-ब्लाक, विकास भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली ।
7. सचिव माननीय उप मुख्य मंत्री/वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली ।
8. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली ।
9. वेब साईट ।
10. गार्ड फाइल ।

निहारिका राय

(निहारिका राय)

सचिव (वित्त)